

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण भवन, जेल रोड, रायपुर  
छत्तीसगढ़ रायपुर  
// आदेश //

आदेश क्रमांक / .....204

रायपुर दिनांक 04/03/2014

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक/1734/ब-4/चार, दिनांक 24.11.2011 द्वारा राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध को शिथिल किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/115/4508/2013/10-3/वन, दिनांक 17/01/2013 द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं छ.ग. लोक सेवा (अनु.जाति, अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम का पालन करते हुये कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर में रिक्त सहायक ग्रेड-3 के पद के विरुद्ध चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतन बैंड रुपये 5200-20200 तथा ग्रेडवेतन रुपये 1900/- (रुपये 5680+1900) में आगामी आदेश तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपस्थिति दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	चयनित वर्ग
01	श्री पीयूष शर्मा पिता श्री रामफल शर्मा	अनारक्षित
02	कु. मुक्ता देवांगन पिता श्री हरि प्रसाद देवांगन	अनारक्षित
03	श्री मिनकेतन चौधरी पिता श्री विद्याधर चौधरी	अनारक्षित
04	श्री कुमार राम साहू पिता सेलउराम साहू	अनारक्षित
05	कु. कुमोदिनी प्रधान पिता प्रफुल प्रधान	अनारक्षित
06	श्री मंगल सिंह पिता स्व. श्री मंसाराम निर्मलकर	अनारक्षित
07	श्री सीमान्त कुमार देवांगन पिता श्री अर्जुन सिंह देवांगन	अनारक्षित
08	श्री लुकेश कुमार साहू पिता श्री चोवाराम साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग
09	श्री मुकेश कुमार साहू पिता बेदराम साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	श्रीमती वीणा वर्मा पिता श्री रवि नायक	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	श्री चंदन कुमार लहरे पिता माधोदास लहरे	अनुसूचित जाति
12	श्री आनंद कुमार टण्डन पिता रामचरण टण्डन	अनुसूचित जाति
13	कु. अन्जू खाखा पिता सेबेस्टीयन खाखा	अनुसूचित जनजाति
14	कु. जयश्री भण्डारी पिता दिलीप कुमार भण्डारी	अनुसूचित जनजाति
15	कु. त्रिवेणी ध्रुव पिता एस.आर. ध्रुव	अनुसूचित जनजाति
16	कु. करुणा पिता बिरलाल सिंह	अनुसूचित जनजाति
17	श्री नरसिंह दीवान पिता बलराम दीवान	अनुसूचित जनजाति
18	श्री धनंजय लिमजे पिता चिन्तामन लिमजे	अनुसूचित जनजाति
19	कु. देवकी ध्रुव पिता ठाकुर राम ध्रुव	अनुसूचित जनजाति

Kingh

2d  
04/3/14

01. शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई एवं अन्य भत्ता देय होगा।
02. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। आपकी सेवार्यें संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह पूर्व सूचना पत्र अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
03. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि के अधीन है। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर 01 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी। परीवीक्षा अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
04. स्वेच्छापूर्वक सेवा त्यागने की स्थिति में एक माह पूर्व सूचना पत्र अथवा एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
06. नियुक्त कर्मचारी को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय रायपुर से अच्छे स्वास्थ्य एवं शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही पदभार ग्रहण कराया जावेगा।
07. पुलिस अधीक्षक द्वारा चारित्रिक सत्यापन प्रमाण पत्र में चारित्रिक प्रतिकूल टीप प्राप्त होने पर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
08. प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण पत्र अथवा आवेदक द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर बिना नोटिस जारी किये तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
09. यदि जारी किये गये चयन सूची पर किसी प्रकार की आपत्ति की जाती है तथा आपत्ति का परीक्षण उपरांत ली गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो नियुक्ति आदेश निरस्त की जा सकेगी तथा अन्य पात्र चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति की जा सकेगी।

*Kingh*

(कौशलेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(प्रशासन/अराजपत्रित)

*13/3*

छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर दिनांक .....04/03/2014

पृ.क्रमांक/प्रशा. अराज.1/247/2013/.....1615.

प्रतिलिपि :-

- 1/ उप वन संरक्षक (रोकड़) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- 2/ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायपुर छत्तीसगढ़।
- 3/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय रायपुर।
- 4/ कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर।
- 5/ गोपनीय कक्ष प्रभारी/कार्यालयीन स्थापना कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर।
- 6/ श्री पीयूष शर्मा पिता श्री रामफल शर्मा, पता- नवीन प्राथमिक शाला भवन के पास मठपारा गभरापारा, रायपुर (छ.ग.)
- 7/ कु. मुक्ता देवांगन पिता श्री हरि प्रसाद देवांगन, पता- सुल्तानिया गली वार्ड नं. 09, सारंगढ़ तह. सारंगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)
- 8/ श्री मिनकेतन चौधरी पिता श्री विद्याधर चौधरी, पता- जलपुर, पो. केदुआ तह. सरायपाली, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

*sh*

- 9/ श्री कुमार राम साहू पिता सेलउराम साहू, ग्राम भलेरा, पो. भरका, तह. आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)।
- 10/ कु. कुमोदिनी प्रधान पिता प्रफुल प्रधान, ग्राम कचनपुर, पो. सरिया, तह. बरमकेला, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)।
- 11/ श्री मंगल सिंह पिता स्व. श्री मंसाराम निर्मलकर, ग्राम दरबारी नवांगांव, तह. व जिला- बालोद (छ.ग.)।
- 12/ श्री सीमान्त कुमार देवांगन पिता श्री अर्जुन सिंह देवांगन, ग्राम- धनोरा, पो. हनौदा, तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.)।
- 13/ श्री लुकेश कुमार साहू पिता श्री चोवाराम साहू, ग्राम- चैतरा, पो. व विकासखण्ड- फिंगेश्वर, तह. राजिम, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)।
- 14/ श्री मुकेश कुमार साहू पिता बेदराम साहू, ग्राम व पो. बेलटुकरी, तह. राजिम, जिला- गरियाबंद (छ.ग.)।
- 15/ श्रीमती वीणा वर्मा पिता श्री रवि नायक, ग्राम व पो. मल्दी, थाना व तह. भाठापारा, जिला- बालौदाबाजार (छ.ग.)।
- 16/ श्री चंदन कुमार लहरे पिता माधोदास लहरे, ग्राम उनमली तालाब, पो. खौना, थाना खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
- 17/ श्री आनंद कुमा टण्डन पिता रामचरण टण्डन, ग्राम व पो. जांजी, थाना सीप. न तह. मस्तुरी व्हाया जयरामनगर जिला- बिलासपुर (छ.ग.)।
- 18/ अन्जू खाखा पिता सेबेस्टीयन खाखा, एम.डी. 232 वीरसावरकर नगर, हीरापुर रायपुर (छ.ग.)।
- 19/ कु. जयश्री भण्डारी पिता दिलीप कुमार भण्डारी, ग्राम अछोली, विकासखण्ड डौण्डीलोहरा, जिला- बालोद (छ.ग.)।
- 20/ श्री त्रिवेणी ध्रुव पिता एस.आर. ध्रुव, न्यू शांतीनगर नेताजी चौक, मां वैष्णवी देवी दुर्गा मंदिर के पास रायपुर(छ.ग.)।
- 21/ कु. करुणा पिता बिरलाल सिंह, ग्राम पोपलाटोला, पो. सहगांव तह. व थाना डौण्डीलोहरा, जिला- बालोद (छ.ग.)।
- 22/ श्री नरसिंह दीवान पिता बलराम दीवान, ग्राम व पो. बारूला, तह. व जिला गरियाबंद (छ.ग.)।
- 23/ श्री धनंजय लिमजे पिता चिन्तामन लिमजे, कांपा नहरपारा, शिव काम्प्लेक्स के पास, कांपा मोवा रायपुर (छ.ग.)।
- 24/ कु. देवकी ध्रुव पिता ठाकुर राम ध्रुव, पता- बी/क्यू-6/7 हुड़को कॉलोनी पुलिस लाईन बैरन बाजार रायपुर (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 (प्रशासन/अराजपत्रित)  
 छत्तीसगढ़ रायपुर

  
 09/3/11